विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 7270/एड0जी–1/2020 इलाहाबाद दिनांकित 09.09.2020 के अनुपालन में पारिवारिक न्यायालय में कुल एक परामर्शदाता की नियुक्ति की जानी है,जिसकं संबंध में शासनादेश संख्या 102/07–न्याय–2–2015–728 न्याय अनुभाग–2 अधीनस्थ न्यायालय लखनऊ दिनांक 18 जून,2015 के द्वारा निम्न अर्हता प्राप्त व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. आवेदक समाज शास्त्र या मनोवैज्ञानिक में से किसी एक विषय में से स्नातक की डिग्री रखता हो और समाज सेवा का अनुभवी हो। जो आवेदक समााजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक हो और पारिवारिक काउन्सिलिंग में दो वर्ष का अनुभव रखता हो,उसे वरीयता दी जायेगी।
2. आवेदक की आयु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को 35 से 65 वर्ष के मध्य हो।
3. परामर्शदाता का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
4. परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी। न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेगें।
5. नियुक्ति परामर्शदाता को शासनादेश के अनुसार नियत मानदेय देय होगा। जो पुरूष अथवा महिला इस पद पर नियुक्त होने के इच्छुक हो,वे अपना आवेदन पत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित दिनांक 08.10.2020 तक प्रशासनिक कार्यालय पारिवारिक न्यायालय, लखनऊ में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रेषित कर सकते हैं।

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
प्रधान न्यायाधोश/जिला जज
पारिवारिक न्यायालय,
लखनऊ।
21.09.2020

प्रतिलिपि

1. मुख्य साध्यपाल प्रधान न्यायाधीश,पारिवारिक न्यायालय लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्रशासनिक कार्यालय पारिवारिक न्यायालय,लखनऊ के नोटिस बोर्ड पर,बार एसोसियेशन सिविल कोर्ट,लखनऊ, बार एसोसियेशन कलेक्ट्रेट,लखनऊ व वाह्य न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
2. जिला सूचना अधिकारी लखनऊ को स्थानीय समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशन हेतु ।
3. सिस्टम आफीसर, कम्प्यूटर अनुभाग जिला जज लखनऊ को इस पत्र के साथ प्रेषित हो कि वह उक्त आदेश की प्रतिलिपि को प्रधान न्यायाधीश /जिला जज,लखनऊ व माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
प्रधान न्यायाधीश/जिला जज
पारिवारिक न्यायालय,
लखनऊ।
21.09.2020

पत्रांक सं. 72/2020 F.C. LKo.